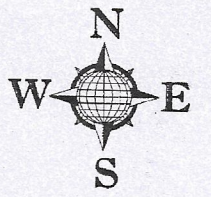


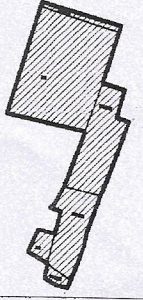
PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"THE RING RESIDENCY COMMERCIAL"
IN KHASRA NO.- 641/204, 643/205, 206, 215, 659/216, 661/645.
AT VILLAGE :- SITARAMPURA, TEH.- SANGANER, DIST.- JAIPUR.



1344
B.
01.11.23.

ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र



दिशा सूचक



TYPES OF PLOTS :-
(I) SERVICE APPTS (SCC) : SA-06
(II) INFORMAL COMMERCIAL : IC-01
(III) COMMERCIAL : C-29

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	SERVICE APPTS (SCC)	1967.70	19.68 %
2.	COMMERCIAL	2449.33	24.49 %
3.	INFORMAL COMMERCIAL	200.01	02.00 %
TOTAL = (1 TO 3)		4617.04	46.17 %
4.	PARK	500.85	05.01 %
5.	H.T. LINE	503.27	5.03%
6.	PUBLIC UTILITY	137.11	1.37%
7.	PARKING	475.48	04.76 %
8.	S.W.M.	50.00	0.50 %
9.	MOBILE TOWER	10.00	0.10 %
10.	P.U. (TOILET)	10.00	0.10 %
11.	ROAD	3696.25	36.96 %
TOTAL = (4 TO 11)		5382.96	53.83 %

SCHEME AREA	10000.00	100.00 %
	01.00 HECT.	

योजना की भूमि की राश्र्वा. अभिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही एवं नोके पर भूमि का प्रमाणिकरण मेरे द्वारा किया गया।
योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार नाम उपमुख्य ज्ञान-

बी.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"THE RING RESIDENCY COMMERCIAL"
IN KHASRA NO.- 641/204, 643/205, 206, 215, 659/216, 661/645
AT VILLAGE :- SITARAMPURA, TEH.- SANGANER, DIST.- JAIPUR.

जोन संख्या = 14

पैमाना :- 1:500

सहायक नगर नियोजक अति.सहायक नगर नियोजक वरिष्ठ नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT :-
Cad Max PROJECTS (P) LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi, Tonk Road, JAIPUR
Pin - 302015
Mobile No. 9829345031

ZDP ROAD 48.0 M. WIDE

ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 12.0 MT. WIDE

APP. ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 12.0 MT. WIDE

J.D.A. APPROVED
"RIYASAT INDUSTRIAL PARK"

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi, Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829345031

NOTE :- DRAWINGS ARE
APPROVED IN COMPLIANCE OF
BPC(LP) MEETING DATED
11/09/2023.

D.C. (ZONE-14)

ACT.P
B.P.C.(L.P)

T.D.R (ZONE-14)

A.T.P. (ZONE-14)

AMIN / PATWARI (ZONE-14)

B.P.C.(L.P)

- नोट:-
- राजस्व ग्राम सीतारामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के ख.नं. 641/204, 643/205, 206, 215, 659/216, 661/645 कुल किता 06 कुल रकबा 01.00 हेक्टर भूमि की 90ए संशोधित आदेश संख्या LU2012/JDA/2022/D-3848 दिनांक 19.12.2022 को की गई है जिसकी प्रति 162/सी पर संलग्न है।
 - योजना की भूमि में राश्र्वा. अभिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं नोके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
 - योजना का भू-उपयोग मास्टरप्लान शाखा द्वारा 89/सी के अनुसार मास्टरविकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मास्टरविकास योजना 2025 व जोनल डवलपमेंट प्लान प्लानिंग जोन-09 के अनुसार भू-उपयोग कॉमर्शियल दर्शित है। मास्टरविकास योजना 2025 के अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग कॉमर्शियल (सब सिटी सेक्टर) दर्शित है। मास्टरप्लान पॉल्यूस-02 के अनुसार कॉमर्शियल (सब सिटी सेक्टर) में निम्न गतिविधियां अनुज्ञेय है:- "Retail shopping stockiest and dealers of medicines and drugs, commercial and offices of local bodies, PSUs, Cinema, Cineples, Hotels, Restaurants, Banquet Halls, Socio-Cultural activities/Recreational Club, Service Appts, Coaching centers/ Training Institutes, Police Post, fire post, Tel. Exchange, Post & Telegraph office, Petrol pump/CNG station, Bus Terminal, Informal Trade."
 - योजना दा रिंग रेजिडेंसी कॉमर्शियल का अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 341वीं बैठक दिनांक 11.09.2023 में किया गया है। जिसकी अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
 - योजना में फुटकर व्यावसायिक के प्राक्धान नववि के आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बीपीसी (एलपी) द्वारा जारी यू.ओ. नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार देय होंगे।
 - आवेदित भूमि में से गुजर रही 220 केवी की एचटी लाईन के नीचे 18.6 मीटर पट्टी को नोक्स्ट्रक्चर जोन के रूप में आरक्षित करने के पश्चात् दोनों ओर 9.00-9.00 मीटर चौड़ी सड़क रखी जावे।
 - योजना मानचित्र टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
 - योजना के भूखण्डों पर पैसामीटर्स भवन विनियम 2020 एवं नववि की अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अनुसार देय होंगे।
 - आन्तरिक विकास शुल्क की एवजमें 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड रहन रखे जाते है:-
भू.सं. SA-02,SA-03,C-29 कुल भूखण्ड 03 कुल क्षेत्रफल 606.08 वर्गमीटर